1. प्रस्तावना

क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र (सी.आर.सी.) जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के सेवा में विगत पांच वर्षो से शास्त्री भवन सरोजनी नगर में कार्यरत था, नवम्बर 2005 में अपने नवीन परिसर मोहान रोड, लखनऊ में स्थानान्तरित होकर कार्यरत है। वर्तमान में यह संस्थान पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन–संस्थान, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा सभी प्रकार की विकलांगता (चलन–अस्थिबाधित, वाक् एवं श्रवण बाधित, मंद बुद्धि एवं दष्टिबाधित) से ग्रस्त विकलांग जनों को आवश्यक पुनर्वास सेवायें प्रदान करना शामिल है । यह संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद से सम्बद्ध निम्न कार्यक्रम चलाता है :–

1. प्रोस्थैटिक्स एण्ड अर्थोटिक्स तकनीशियन में प्रमाण–पत्र	1 वर्ष
2. डिप्लोमा इन रिहैबीलिटेशन थरैपी	2½ वर्ष

इस संस्थान के विभिन्न सेवा कार्यकलाप इस प्रकार हैः–

1. पुनर्वासन के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास करना।
2. विकलांग जनों हेतु भौतिक एवं व्यवसायिक चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराना।
3. आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराना एवं उनकों पुनर्वासित करना।
4. विकलांग जनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनको उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन देना।

2. पाठ्यक्रम विवरण

प्रोस्थेटिक्स एवम् अर्थोटिक्स तकनीशियन में प्रमाण–पत्र

प्रोस्थेटिक्स एवम् आर्थोटिक्स ऐसा व्यवसाय है जो अस्थि–बाधित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सहायक अंग व उपकरण निर्माण करने व लगाने से सम्बन्धित है।

ग्रामीण विकलांग जनों को पुनर्वास सेवा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधनों की अत्यन्त कमी है, इस कमी को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा यह एक वर्षीय प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) से अनुमोदित एवं स्वीकृत है, चलाने का निर्णय लिया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य श्रेणी–III के तकनीशियन (bench worker) को प्रशिक्षित करना है जो कि पुनर्वास संबंधित सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग एवं अन्य अस्थि सम्बन्धित उपकरणों का निर्माण एक योग्य श्रेणी–I प्रोस्थैटिस्ट एवं अर्थोटिस्ट के अधीन/निर्देशन में करेगें।

रिहैबलीटेशन थेरैपी में डिप्लोमा (2½ वर्षीय)

यह पाठ्यक्रम पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास के उददेश्य से बनाया गया है जिससे कि जिला व ब्लाक स्तर तक पुनर्वास सम्बन्धित चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है एवं जिसके कारण विकलांगता प्रायः अक्षमता में परिवर्तित हो रही है।

ये व्यवसायी, विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर एक रेफरल प्वाइंट की तरह कार्य करेंगे एवं सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में भी सहयोग करेंगे।

3.न्युनतम पात्रता शर्ते

पाठयक्रम	सीटों की संख्या	शैक्षिक अर्हता	अंकों की प्रतिशता	उम्र
डी.आर.टी.	10	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अन्तर्गत कक्षा 10+2, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान या समकक्ष	न्यूनतम 50%	1 जुलाई 2007 को 17 से कम न हो ।
सी.पी.ओ.	20	1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अन्तर्गत हाईस्कूल (कक्षा 10) पास एवं 2. आई.टी.आई. सर्टिफिकेट (फिटर/कारपेन्टरी/लेदर में से किसी भी एक ट्रेड में) या किसी भी मान्यता प्राप्त पुनर्वास केन्द्र में पी. एण्ड ओ. उपकरण निर्माण करने का दो वर्ष का अनुभव		1 जुलाई 2007 को 17 से कम न हो ।

4. प्रवेश का आधार

डी.आर.टी. / सी.पी.ओ. में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन सी.आर.सी. द्वारा आयोजित अलग–अलग प्रवेश परीक्षा में उनकी योग्यता क्रम एवं परामर्श के आधार पर किया जायेगा। यह परीक्षा अभ्यर्थियों द्वारा हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में दी जा सकती है।

5. सीटों की संख्या

5.1 डी.आर.टी. और सी.पी.ओ. के प्रत्येक पाठयक्रम में क्रमशः 10 (दस) और 20 (बीस) सीटें होगीं। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का वितरण इस प्रकार है–

पाठ्यक्रम	कुल	सामान्य श्रेणी	अनु. जाति	अनु. ज.जा.	शारीरिक विकलांग
डी.आर.टी.	10	07	02	01	–
सी.पी.ओ.	20	14	03	02	01
योग	**30**	**21**	**05**	**03**	**01**

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी (अ.जा/ अ.ज.जा.)

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 15 प्रतिशत व 7½ प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करते समय सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध है ।

5.3 शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी : प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स तकनीशियन के पाठ्यक्रम में एक स्थान शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी के लिए आरक्षित है बशर्ते वो योग्यता क्रम सूची में आ जाता/जाती है तथा पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए डॉक्टरी जांच में उपयुक्त पाया जाता/जाती है । इस श्रेणी के अंतर्गत दावे हेतु उसे सक्षम चिकित्साधिकारी से स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए ।

शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी को सी.पी.ओ. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान वांछित तकनीकी कार्य कर सकने में सक्षम होना चाहिए ।

प्रत्याशी में खड़े होने पर पर्याप्त संतुलन होना चाहिए तथा उसके ऊपरी अंग वांछित युक्तिसंगत कार्य कर सकने के लिए सक्षम होने चाहिए ।

6. विवरणिका की बिक्री

विवरणिका, क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, निकट जी.बी. पन्त पॉलीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ–226 017 के काउन्टर से **दिनांक 11 मई, 2007 (शुक्रवार)** से उपलब्ध होगें।

जो अभ्यर्थी पंजीकृत डाक से विवरणिका सहित आवेदन पत्र मंगाना चाहते है वे सामान्य श्रेणी के लिए रू0 230/– तथा अ. जा. / अ. जन. जा. के लिए रू0 130/–, का एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि **''आई.पी.एच.–सी.आर.सी. लखनऊ''** के पक्ष में एवं लखनऊ में देय एवं कोर्स का नाम जिसके लिये आवेदन चाहते हैं, के साथ आवेदन पत्र भेजें। डाक से विवरणिका प्राप्त करने का पता– **प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, निकट जी.बी. पन्त पॉलीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ–226 017** । विवरणिका प्राप्त करने का आवेदन पत्र उक्त पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा **दिनांक 25 मई, 2007 (शुक्रवार)** तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। यह पुनर्वास केन्द्र डाक में गुम होने वाले या विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।

7. प्रवेश परीक्षा की तिथि

प्रवेश परीक्षा **दिनांक 26 जून, 2007 (मंगलवार)** को आयोजित की जायेगी।

डी.आर.टी. हेतु : प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक

सी.पी.ओ. हेतु : अपरान्ह 03 बजे से सायं 05 बजे तक

प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची, केन्द्र के सूचना पट्ट पर दिनांक **27 जून, 2007 (बुद्धवार)** को प्रदर्शित किया जायेगा ।

अभ्यर्थी यदि दोनों पाठ्यकमों के लिए पात्रता रखता है तो दोनों प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र भरने होंगे।

यदि अभ्यर्थी को दिनांक 23 जून, 2007 (शनिवार) तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हो तो वह कृपया 25 जून, 2007 को प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, मोहान रोड, लखनऊ से आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ सम्पर्क करें।

किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके पास संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र नहीं होगा।

8. परिणाम

परिणाम **दिनांक 27 जून, 2007 (बुद्धवार)** को घोषित किया जायेगा । परामर्श, प्रवेश लेने एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने की तिथि 29 जून, 2007 (शुक्रवार) ।

9. प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित विवरण पत्रिका का मूल्य

आवेदन पत्र सहित विवरण पत्रिका क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, निकट जी.बी. पन्त पॉलीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ–226 017 के काउन्टर से सामान्य श्रेणी के लिये रू. 200/– एवं अनु. जा./अ.ज. के लिए रू. 100/– नकद भुगतान या आई.पी.एच.– सी.आर.सी., लखनऊ के नाम लखनऊ के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट देने पर प्राप्त कर सकते हैं। डाक से विवरणिका एवं आवेदन पत्र मंगाने का मूल्य सामान्य श्रेणी के लिए रू. 230/– तथा अ. जा. / अ. जन. जा. के लिए रू. 130/– है ।

10. पाठ्यक्रम शुल्क

परामर्श के लिए बुलाये गये प्रत्याशियों को सफलता उपरान्त पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि को निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा।

क्र0सं0	विवरण	राशि रू0	टिप्पणी
1.	प्रवेश शुल्क	250.00	केवल एक बार (अप्रतिदेय)
2.	जमानत राशि	2500.00	(प्रतिदेय सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर)
3.	पुस्तकालय प्रतिभूति जमा	1000.00	केवल एक बार (प्रतिदेय)
4.	ट्यूशन शुल्क डी.आर.टी. हेतु सी.पी.ओ. हेतु	5000.00 5000.00	प्रति वर्ष (अप्रतिदेय) केवल एक बार (अप्रतिदेय)
5.	थेराप्यूटिक प्रयोगशाला / कार्यशाला शुल्क	3000.00	केवल एक बार (अप्रतिदेय)
6.	खेल–कूद एवं सांस्कृत्रिक शुल्क	200.00	केवल एक बार (अप्रतिदेय)
7.	नांमाकन शुल्क		मनीपाल (उच्चत्तर शिक्षा अकादमी, मनीपाल–MAHE) विश्वविद्यालय के अनुसार
8.	परीक्षा शुल्क		मनीपाल (उच्चत्तर शिक्षा अकादमी, मनीपाल–MAHE) विश्वविद्यालय के अनुसार

नोटः–

1. कक्षाओं के आरम्भ हो जाने पर क.सं. 1 से 6 में वर्णित कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
2. अंतिम प्रवेश हो जाने पर क्र.सं. 1 में वर्णित प्रवेश शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
3. क्र.सं. 2 में वर्णित जमानत राशि पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक होने के उपरान्त ही लौटायी जायेगी। यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश लेने के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो ये राशि नहीं लौटायी जायेगी।
4. यदि प्रवेश प्राप्त प्रत्याशी कक्षाओं में आना, उपस्थित होना प्रारम्भ कर देता है तो क्र.सं. 3, 4, 5 एवं 6 में वर्णित राशि नहीं लौटायी जायेगी तथापि यदि प्रत्याशी प्रवेश के लिए होने वाले द्वितीय परामर्श की तारीख से पूर्व प्रवेश से हट जाता है तो इसे वापिस किया जायेगा अन्यथा केवल पुस्तकालय प्रतिभूति ही विभाग से ''कुछ बकाया नहीं'' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लौटायी जायेगी।

11. छात्रावास

इस क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र में अभी छात्रावास की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः विद्यार्थियों को अपने रहने का प्रबंध स्वयं करना होगा ।

12 सामान्य अनुदेश

(1) संलग्न आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही प्रत्याशी स्वयं के हस्तलेख में भरें । **स्वयं प्रत्याशी द्वारा न भरे जाने पर आवेदन को निरस्त किया जा सकता है ।**

(2) प्रत्याशी आवेदन पत्र, पहचान पत्र तथा प्रवेश पत्र पर अपने हस्तलेख में स्पष्ट हस्ताक्षर करें । बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) इस आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना अयोग्यता समझी जाएगी तथा इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य माना जाएगा ।

(4) इस आवेदन पत्र में यदि कोई असत्य सूचना दी जाती है अथवा किसी वास्तविक सूचना को छुपाया जाता है तथा जिसके विषय में संस्थान को प्रत्याशी के प्रशिक्षण के दौरान यदि जानकारी हो जाती है तो उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा ।

(5) सभी उत्तर शब्दों में दिए जाएं, डैशों और बिन्दुओं में कोई कालम खाली या अपूर्ण न छोड़ा जाए ।

(6) अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । इस आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विवरणिका में निहित अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए ।

(7) प्रवेश से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

13. आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

भरे हुए आवेदन पत्र भेजने से पूर्व प्रत्याशी जांच कर लें कि उन्होंने निम्नलिखित मदें नत्थी कर दी हैं कि नहीं :

(प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित प्रतियाँ ही भेजी जाएं वे मूल प्रमाण–पत्र संलग्न न करें)

1. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक/ सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाण–पत्र ।
2. निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र उन प्रत्याशियों के लिए जो आरक्षित श्रेणियों के अधीन प्रवेश ले रहें हैं ।
3. उस कालेज/स्कूल से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र जहां अंतिम रूप से शिक्षा प्राप्त की है।
4. 10+2 योजना के अधीन 12 वीं परीक्षा पास करने/परीक्षा में बैठने का लिखित प्रमाण ।
5. 10+2 योजना के अधीन 12 वीं कक्षा की अंक तालिका ।
6. सी.पी. ओ. पाठ्यक्रम के प्रत्याशियों के लिए 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र एवम् अंक तालिका तथा आई.टी.आई द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ।
7. आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र पर चिपकाये गए हाल ही के पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो।
8. स्वयं का पता लिखा पावती कार्ड (यदि डाक द्वारा भेजा गया है तो डाक–टिकट लगाकर) ।
9. प्रत्याशी द्वारा विधिवत अपने हस्तलेख में हंस्ताक्षरित प्रवेश–पत्र और पहचान–पत्र ।
10. प्रवेश–प्रत्र प्राप्त करने के लिए स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा डाक टिकट लगाकर (12 X 28 से.मी.)
11. आवेदक तथा उम्मीदवार के पिता/माता/पति/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित घोषणा पर हस्ताक्षर ।
12. सही तरीके से भरा हुआ आवेदन–पत्र एवं समस्त प्रमाण–पत्र सहित आवेदन, **प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, निकट जी0बी0 पन्त पॉलीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ–226 017** को भेजा जाए ।
13. लिफाफा जिसमें आवेदन पत्र है पर ''डी.आर.टी. अथवा सी.पी.ओ. प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र'' लिखा जाए ।

नोट :

यदि कोई प्रत्याशी 10+2 योजना के अधीन 12 वीं कक्षा या किसी समकक्ष परीक्षा में बैठ रहा है अथवा बैठ चुका है तो उसे इस आशय का प्रमाण–पत्र स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य/प्रमुख की ओर से प्रस्तुत करना होगा । परन्तु उसे अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का लिखित प्रमाण, जिसमें वांछित विषयों का वर्णन हो तथा उसकी अंक तालिका की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि जिसमें प्राप्त अंकों का वर्णन हो 29 जून, 2007 तक जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश परीक्षा में उसके निष्पादन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2007 (शुक्रवार) है (व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा) । उसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । यह पुनर्वास केन्द्र डाक में गुम होने वाले या विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।

11. **प्रवेश परीक्षा की तिथि पर उम्मीदवार के लिए जानकारी**

डी.आर.टी. / सी.पी.ओ. के लिए प्रवेश परीक्षा

समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना है :

	डी.आर.टी. हेतु	**सी.पी.ओ. हेतु**
केन्द्र में रिपोर्ट करने का समय	प्रातः 9.30 बजे	अपरान्ह 2.30 बजे
सीट पर उम्मीदवार का बैठना	प्रातः 9.45 बजे	अपरान्ह 2.45 बजे
उत्तर पुस्तिका का जारी करना	प्रातः 9.50 बजे	अपरान्ह 2.50 बजे
प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करना	प्रातः 10.00 बजे	सायं 3.00 बजे
परीक्षा समापन	अपरान्ह 1.00 बजे	सायं 5.00 बजे

2. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में डी.आर.टी. हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए प्रातः 10.00 बजे के बाद एवं सी.पी.ओ. हेतु अपरान्ह 3.00 बजे के बाद परीक्षा हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

3. प्रत्याशी अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएं । प्रवेश पत्र के बिना किसी उम्मीदवार को परीक्षा में लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. प्रत्याशी अपने साथ एच बी पेंसिल, बॉल पैन, इरेजर और शार्पनर आदि परीक्षा में प्रयोग के लिए लाएं ।

5. उपरोक्त 4 में वर्णित कोई भी स्टेशनरी वस्तु प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

6. अभ्यर्थी को प्रश्न–पत्र और उत्तर–पुस्तिका के अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए ओर उसका अनुसरण करना चाहिए । कुछ भी पूछना हो तो उसे निरीक्षकों से स्पष्ट करा लेना चाहिए ।

7. परीक्षा प्रश्न पत्र में डी.आर.टी. हेतु भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे । सी.पी.ओ. हेतु भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित व सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे ।

8. उम्मीदवारों को परीक्षा का आधा समय बीत जाने से पहले टॉयलेट इत्यादि हेतु परीक्षा हाल/कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा परीक्षा पूर्ण होने से पहले परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

9. उम्मीदवार को परीक्षा हॉल/कक्ष के अंदर कलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन आदि सहित सामान और वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

10. उम्मीदवार की निजी वस्तुओं के खो जाने/चोरी हो जाने के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा ।

11. उम्मीदवार को परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र को देखने और अपने बैठने की सीट को नोट कर उसी दिन प्रातः बैठने संबंधी व्यवस्था देख लेने की सलाह दी जाती है ।

12. केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक को किसी उम्मीदवार/शिकायत/विवाद की जांच करने तथा तद्नुसार निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

13. किसी प्रकार के कदाचार के प्रयास से बचने के लिए परीक्षा केन्द्र, परीक्षा कक्षों और व्यक्तिगत आवेदकों की वीडियोग्राफी की जा सकती है । प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे व्यवसायिकों व परीक्षा निरीक्षकों को सहयोग देंवे, क्योंकि ऐसा वास्तिवक परीश्रमी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है ।

14. **किसी प्रकार अनुचित साधन/अनाचार में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में आगे लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उम्मीदवार का सम्पूर्ण परीक्षा निष्पादन रद्द कर दिया जाएगा ।**

15. छद्मरूपण के किसी भी प्रयास से विधि के अधीन सख्ती से निपटा जाएगा ।

16. पेय जल को छोड़कर परीक्षा केन्द्र के हॉल के अन्दर कोल्ड ड्रिंक/चाय/काफी/आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. केन्द्र के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे उन्हें परामर्श तथा अस्थायी प्रवेश के लिए निर्धारित तारीखों को बुलाया जाएगा ।

12.1 उपस्थिति

डी.आर.टी/सी.पी.ओ. में प्रवेश प्रत्याशी की उपस्थिति की अपेक्षित शर्तो को तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा, जब तक कि वह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष और निर्धारित प्रैक्टिकल अवधि में प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक विषयों में अलग–अलग तीन–चौथाई (80%) से कम उपस्थिति नहीं रखता हो । इसके अतिरिक्त, जहां निर्धारित पाठ्यक्रमों में भ्रमण अध्ययन सम्मलित है, उपस्थिति अनिवार्य होगी । उपस्थिति की कमी पूरी करने हेतु संस्थान अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कराने का दायित्व नहीं लेता । **यदि किसी छात्र को कम उपस्थिति का या बिना सूचना दिए कक्षा में अनुपस्थित होना पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त करने सहित उसे अनुशासनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा अथवा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**

13. छेड़ – छाड़ पर रोक तथा दंड *(अध्यादेश 15 – ग)*

1. संस्थान के परिसर के अंतर्गत जिसमें कक्षाओं के कमरे, पुस्तकालय, गलियारे, विभाग, परिवहन समेत सार्वजनिक स्थान शामिल हैं, में छेड़छाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध है ।

2. किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा सामूहिक छेड़–छाड़ करना अथवा छेड़–छाड़ का प्रयास करना गम्भीर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा उससे इस अध्यादेश के अन्तर्गत निपटा जाएगा ।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए छेड़–छाड़ का साधारणतः अर्थ है वरिष्ठ छात्रों का अपने दर्जे अथवा बल द्वारा नए आए छात्रों अथवा जो छात्र किसी भी तरह से अन्य छात्रों से कनिष्ठ छात्रों अथवा जो छात्र किसी भी तरह से अन्य छात्रों से कनिष्ठ अथवा नीचे समझे जाते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अकेले अथवा समूह में छेड़–छाड़ करना अथवा छेड़–छाड़ का प्रयास करना, इसमें ये शामिल हैं :–

   (क) शारीरिक प्रहार अथवा धमकी अथवा शारीरिक बल का प्रयोग करना ।

   (ख) छात्रों/छात्राओं के दर्जे, गरिमा व मान का उल्लंघन ।

(ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से संबंधित छात्रों के दर्जे गरिमा तथा सम्मान का उल्लंघन करना ।

(घ) छात्रों को हास्यास्पद स्थिति में डालना तथा उनके आत्म सम्मान को प्रभावित करना ।

(ड़) गाली गलौज़ करना, गन्दी भावः भंगिमाएं बनाना तथा इशारेबाजी करना ।

4. कालेज में प्रधानाचार्य, किसी विभाग के अध्यक्ष अथवा संस्था, कालेज प्राधिकारी, विश्वविद्यालय प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छेड़–छाड़ की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करेंगें ।

5. उपरोक्त खण्ड–4 में किसी बात के होते हुए भी कुलानुशासक छेड़–छाड़ की किसी घटना में साथ–2 जांच कर सकेंगें तथा निदेशक को उन व्यक्तियों की सूचना देंगे जो छेड़–छाड़ की घटना में शामिल थे ।

6. कुलानुशासक छेड़–छाड़ करने वाले तथा छेड़–छाड़ के जनक तथा छेड़–छाड़ की घटना के प्रकार की एक आरम्भिक रिपोर्ट भी दे सकते हैं ।

7. यदि कालेज के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष अथवा संस्था अध्यक्ष अथवा कुलानुशासक संतुष्ट है कि कुछ कारणों से इसे लिखित में रिकार्ड में लाया जाए, वह व्यवहारिक नहीं कि ऐसी कोई जांच की जाए वह तदानुसार निदेशक को ऐसा परामर्श दे सकते हैं ।

8. जब निदेशक इससे संतुष्ट हो कि ऐसी कोई जांच करना जरूरी नहीं है उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

9. खण्ड 5 अथवा 6 के अन्तर्गत रिपोर्ट मिलने पर अथवा खण्ड 7 के अन्तर्गत सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा खण्ड 3 क, ख, अथवा 9 ग में वर्णित छेड़–छाड़ की घटना होने को प्रकट करने संबंधी निर्णय पर निदेशक निश्चित वर्षों के लिए छात्र अथवा छात्रों को प्रतिबंधित करने के निर्देश अथवा आदेश दे सकते हैं ।

10. निदेशक छेड़–छाड़ अन्य मामलों में किसी छात्र को निकालने अथवा न निकालने, किसी अवधि के लिए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने, किसी सम्बद्ध परीक्षा अथवा परीक्षाऐं जिनमें वह बैठ चुका है के परिणाम को रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं ।

14. आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश

14.1 उम्मीदवार द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख से आवेदन–पत्र भरा जाना चाहिए ।

14.2 पाठ्यक्रम के विकल्प की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें । अभ्यर्थियों को परामर्श देते समय केवल उनके व्यक्तिगत प्राथमिकता और योग्यता सूची में स्थिति क्रम में पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएंगी। सीट की उपलब्धता व योग्यता सूची में प्रत्याशी की स्थिति के अधीन परामर्श/प्रवेश के समय प्राथमिकता में किसी परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी ।

14.3 अपना हाल ही के पासपोर्ट आकार का अपने स्कूल/कालेज के प्रिंसिपल या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ लगाएं । आवेदन पत्र पर लगाने के उपरान्त फोटोग्राफ को अनुप्रमाणित करा लें ।

14.4 अपने प्रवाहित हस्तलेख में फोटोग्राफ के लिए स्थान के नीचे दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें । बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे ।

14.5 अपने बाएं तथा दाएं अंगूठों की छाप इनके लिए निर्धारित बॉक्सों में लगाएं ।

14.6 बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में अपना नाम उसके लिए दिए गए बॉक्सों में लिखें । अपने नाम के लिए आवश्यक बॉक्सों को गिन लें । नाम और उपनाम के मध्य एक बॉक्स छोड़ दें । यदि बॉक्सों की संख्या कम हो तो आप बाक्स उसमे और जोड़ लें ।

14.7 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपनी जन्म–तिथि दिन, माह और वर्ष के संदर्भ में लिखे:

जन्म तिथि

दिन		माह		वर्ष			
1	7	0	6	1	9	8	7

14.8 अपनी उम्र, तिथि 01 जुलाई, 2007तक बताएं उदाहरणार्थ किसी उम्मीदवार की यदि उपर्युक्त जन्म–तिथि हो तो वह निम्नलिखित आयु का होगा:

दिन		माह		वर्ष	
1	4	0	0	2	1

14.9 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपना जन्म–स्थान नगर/जिला और राज्य के संदर्भ में लिखे:

नगर/जिला	**राज्य**
लखनऊ	उत्तर प्रदेश

14.10 अपने अधिवास का स्थान अर्थात उम्मीदवार के पिता का मूल राज्य/जिला बताएं ।

14.11 उचित बॉक्स में अपने लिंग के बारे में ☑ का निशान लगाएं ।

14.12 उचित बॉक्स में अपनी वैवाहिक स्थिति पर ☑ का निशान लगाएं ।

14.13(क) अपनी राष्ट्रीयता को लिखें । यदि आप पासपोर्ट धारी हैं तो इसका उल्लेख, जैसा कि आपके पासपोर्ट में दिया गया है, किया जाना चाहिए ।

(ख) अपनी मातृभाषा का उल्लेख करें ।

14.14 से 14.15 आवेदन पत्र में कालम 14.14 से 14.15 और विवरण–पत्रिका में सीटों की संख्या के बारे में कालम 5 को सावधानीपूर्वक पढ़ें और संबंधित बाक्स (बॉक्सों में ☑ का निशान लगाएं । संबंधित श्रेणी के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

14.16 से 14.17 पत्राचार के लिए अपना पता और स्थायी पता बड़े अक्षरों में उसके लिए दिए गए बाक्सों में लिखें । प्रत्येक शब्द के बाद एक बाक्स खाली छोड़ दें । पिन कोड का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि डाक में कोई विलम्ब न हो । तत्कालिकता के मामलों में आपसे पत्राचार/सम्पर्क करने के लिए टेलीफोन/फैक्स नम्बर (यदि कोई हो) तो दिया जाना चाहिए ।

14.18 से 14.22 अपने पिता/पति/अभिभावक का नाम और माता का नाम अपने हस्तलेख से साफ–साफ लिखें । अपने अभिभावक के व्यवसाय, मासिक आय तथा सम्बंध का उल्लेख करें ।

14.23 उचित कालमों में मैट्रिकुलेशन/10 वीं कक्षा से आगे की अपनी शैक्षिक अर्हता भरें । यदि दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो एक अलग कागज संलग्न करें ।

14.24 उचित कालमों में ☑ का निशान लगाएं और यदि आपने इस वर्ष परीक्षा दी हो तो अपने अर्हक 10 + 2 परीक्षा में परिणाम की घोषणा की संभावित तारीख दें ।

14.25 केवल सी.पी.ओ. प्रत्याशी यदि अपना पी. एवं ओ. उपकरण निर्माण करने का अनुभव रखते हों तो कृपया उक्त कॉलम पूर्ण रूप से भरें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न करें ।

14.26 से 14.27 उम्मीदवार द्वारा स्वयं तथा अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा को पढ़ लें । यदि संस्थान के ध्यान में मानदंडों/नियमों के उल्लंघन की कोई घटना लाई जाती है तो वे इन घोषणाओं के स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

- **''केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए ''** शीर्षक पृष्ठ पर कुछ भी नहीं लिखें ।

15. प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र

15.1 (क) अ.ज./अ.ज.जा. के लिए : जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त उप कलेक्टर/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजिनल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त प्रसेंडेंसी मजिस्ट्रेट/अति चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो जहाँ प्रत्याशी और अथवा उसका परिवार सामान्यतया रहता है इस क्षेत्र का सव डिवीजनल अधिकारी/प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) द्वारा जारी किया जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु...

पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती...

ग्राम/नगर...

जिला मण्डल...

....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...की...................................

जाति से सम्बद्ध है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर..

नाम..

(साफ अक्षरों में)

पदनाम......................................

स्थान व तारीख

(कार्यालय की मोहर)

14.1. **बैंक का नाम/ड्राफ्ट न................................** *संख्या.....................*

राशि..

में देय..

क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(निकट जी.बी.पन्त पॉलीटेक्नीक)

मोहान रोड, लखनऊ–226 017

प्रोस्थेटिक्स एवम् आर्थोटिक्स तकनीशियन में प्रमाण–पत्रीय पाठ्यक्रम (सी.पी.ओ.)

एवं

रिहैबिलीटेशन थैरेपी में डिप्लोमा (डी.आर.टी.)

संबंधित प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवदेन–पत्र

शिक्षा सत्र – 2007 - 2008

14.2. पाठ्यक्रमों का विकल्प/प्रवेश परीक्षा

डी.आर.टी ☐

सी.पी.ओ. ☐

14.3. किसी राजपत्रित अधिकारी/किसी संस्था/विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित हाल ही का उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो लगाऐं

बायां अंगुठा	दायां अंगुठा

14.5. अंगूठों की छाप

14.4. प्रत्याशी के हस्ताक्षर

14.6. प्रत्याशी का नाम

उपनाम प्रथम नाम मध्य नाम (यदि है)

14.7. जन्म तिथि दिन मास वर्ष

14.8. 1 जुलाई 2007 को आयु दिन मास वर्ष

आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि **15 जून (शुक्रवार) 2007**

14.9. जन्म स्थान | गांव | जिला/नगर | राज्य

अस्पताल का नाम जहां पैदा हुआ । यदि कोई हो तो

14.10. अधिवास स्थान | राज्य | नगर | गाँव

14.11. लिंग | पुरुष ☐ | महिला ☐

14.12. वैवाहिक स्थिति | विवाहित ☐ | अविवाहित ☐

14.13. (क) राष्ट्रीयता..(यदि पासपोर्ट रखते हो, तो उल्लिखित राष्ट्रीयता का ही उल्लेख करें ।)

(ख) मातृभाषा................................

14.14. क्या आप निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से संबंधित है ?

अनु. जाति.	हां ☐	नहीं ☐
अनु. जनजाति.	हां ☐	नहीं ☐
अन्य पिछड़ी जाति	हां ☐	नहीं ☐

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

14.15. क्या आप शारीरिक रुप से विकलांग श्रेणी से संबंधित हैं ? हां ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

14.16. पत्र व्यवहार का पता
(साफ–साफ अक्षरों में) ____________________

दूरभाष नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

फैक्स (यदि कोई हो) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मोबाईल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

14.17. स्थायी पता

दूरभाष नं.

फैक्स यदि कोई हो

मोबाईल नं.

पिन कोड

14.18. पिता/पति/अभिभावक का नाम व पता

14.19. माता का नाम

14.20. पिता/पति/अभिभावक का व्यवसाय

14.21. पिता/पति/अभिभावक की वार्षिक आय (रु.)

14.22. अभिभावक के साथ सम्बन्ध

14.23. प्रार्थी की शैक्षिक अर्हता मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) से आगे

निर्देशः– प्रमाण पत्र और अंक तालिका की सत्यापित प्रतियाँ ही संलग्न करें अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कालेज व स्कूल का नाम व पता	उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/ बोर्ड का पूरा नाम	लिए गए विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांको का प्रतिशत

14.24. क) क्या आप इस वर्ष 10+2 परीक्षा में बैठ चुके हैं ?/ बैठ रहे हैं ? हां ☐ नहीं ☐

ख) क्या परिणाम अभी अघोषित है ? हां ☐ नहीं ☐

ग) यदि हाँ, तो परिणाम कब तक घोषित होने की संभावना है । दिन ☐☐ मास ☐☐ वर्ष ☐☐

14.25. सी.पी.ओ. प्रत्याशियों के लिए, यदि पी.एवं ओ. उपकरण निर्माण करने का अनुभव है तो उसका विवरण।

संस्था का नाम व पूरा पता ____

____

____

तिथि ....से...................................तक

(कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

14.26. प्रत्याशी की घोषणा :

(क) मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है ।

(ख) मुझे मेरी योग्यता क्रम सूची तथा मेरी पात्रता के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा मैं उसमें प्रवेश लूँगा/लूँगी ।

(ग) मैं समय–समय पर लागू संस्थान के नियमों और विनियमों का अनुपालन करूँगा/करूँगी ।

(घ) अनुशासनहीनता और कदाचार के लिए मुझे संस्थान से निकाल देने तथा संस्थान और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही तक दण्डित किया जा सकता है ।

दिनांक.......................

आवेदक के हस्ताक्षर

14.27. पिता/पति/अभिभावक द्वारा घोषणा :

मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सवोत्तम जानकारी तथा मेरे विश्वास के अनुसार मेरे पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्य द्वारा दिया गया विवरण सत्य है । वह, संस्थान तथा विश्वविद्यालय नियमों का पालन करेगा/करेगी । कोई भी अनुशासनहीनता, कदाचार तथा संस्थान शिष्टता को भंग करने के लिए उसे संस्थान से निकाल देने तक का दण्ड दिया जा सकता है ।

स्थान.......................

पिता/पति/अभिभावक के हस्ताक्षर

दिनांक......................

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

(क) श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/ ....

रोल नं0 ....से आवेदन–पत्र प्राप्त किया ।

(ख) ....को प्रवेश पत्र जारी किया गया ।

(ग) विसंगतियां

1. ....

2. ....

3. ....

(घ) अन्य कोई अभ्युक्ति

....

....

....

संवीक्षा समिति के सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर/

परामर्श के समय उपयोग हेतु

(क) परामर्श की तिथि..

(ख) प्रवेश चयन परीक्षा में अंक

(ग) योग्यता–क्रम सूची में स्थान..................................

(घ) वर्ग..

(ञ) दाखिले के लिए चयन किया गया : (डी.आर.टी. / सी.पी.ओ.)

के लिए चयनित ☐☐☐

प्रवेश की तिथि ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

प्रतीक्षा सूची में ☐☐☐

(च) प्रतीक्षा सूची नम्बर :

डी.आर.टी. ☐☐☐

सी.पी.ओ. ☐☐☐

हस्ताक्षर

- विभागाध्यक्ष

- अध्यक्ष दाखिला समिति

स्थान......................

दिनांक.....................

निदेशक

क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र

(निकट जी.बी.पन्त पॉलीटेक्नीक)

मोहान रोड, लखनऊ–226 017

<u>प्रवेश–पत्र</u>

परीक्षार्थी को इस कार्ड के बिना परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा ।

प्रवेश परीक्षा डी.आर.टी./सी.पी.ओ. के लिए 26 जून, 2007

रोल नं...

पूरा नाम..लिंग............

01.07.2007 को उम्र..

परीक्षा का स्थान..

....

बिना सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो लगाऐं

परीक्षा अधीक्षक के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

डी.आर.टी.

रिपोर्ट करने का समय : प्रातः 9.30 बजे, 26 जून, 2007

परीक्षा का समय : प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे

सी.पी.ओ.

रिपोर्ट करने का समय : अपरान्हः 2.30 बजे, 26 जून, 2007

परीक्षा का समय : अपरान्ह : 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे

क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र

(निकट जी.बी.पन्त पॉलीटेक्नीक)

मोहान रोड, लखनऊ–226 017

<u>पहचान–पत्र</u>

प्रवेश परीक्षा डी.आर.टी./सी.पी.ओ. के लिए 26 जून, 2007

रोल नं...

पूरा नाम..लिंग............

01.07.2007 को उम्र..

परीक्षा का स्थान..

....

बिना सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो लगाऐं

परीक्षा अधीक्षक के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र

(निकट जी.बी.पन्त पॉलीटेक्नीक)

मोहान रोड, लखनऊ–226 017

पावती संदर्भ संख्या......................

1. अधोहस्ताक्षरी ने आपका डी.आर.टी./सी.पी.ओ. में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया ।
2. आगे से इस संबंध में कोई भी जानकारी (पत्राचार के माध्यम से या मौखिक) हेतु कृपया उपरोक्त संदर्भ संख्या का प्रयोग करें ।
3. आपके पत्राचार के पते में कोई भी बदलाव अगर हो तो इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें ।
4. यह आपके आवेदन पत्र का केवल पावती है ।

इस पत्र के पिछले पृष्ठ पर प्रत्याशी अपने हस्तलेख में अपना पूरा पता एवं पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि समय पर जवाब मिल/पहुंच जाये ।

प्रभारी अधिकारी
क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र,

पावती पत्र

टिकट

सेवा में

....

....

....

पिन कोड : | | | | | | |

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक
पं दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली ।
एवं
क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ ।
दूरभाष – 011–23232403
फैक्स – 011–23239690

श्री हीरा बल्लभ
उप–निदेशक (प्रशासन)
पं दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली ।
एवं
क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ ।
दूरभाष – 011–23220120
फैक्स – 011–23239690

श्री गिरीश वी. गुप्ता
प्रभारी अधिकारी
क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ ।
दूरभाष एवं फैक्स – 0522–2413268
011–23235863

ध्यान योग्य महत्वपूर्ण तिथियां

* आवेदन पत्र कम प्रोस्पेक्टस उपलब्धता	:	11 मई, 2007 (शुक्रवार)
* डाक द्वारा जारी करने की अंतिम तिथि	:	08 जून, 2007 (शुक्रवार)
* संस्था काउन्टर पर बिक्रय करने की अंतिम तिथि	:	15 जून, 2007 (शुक्रवार)
* आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से जमा करने एवं डाक द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	15 जून, 2007 (शुक्रवार)

प्रवेश परीक्षा – 26 जून, 2007 (मंगलवार)

डी.आर.टी. हेतु	:	प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक
सी.पी.ओ. हेतु	:	सायं 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

* प्रवेश परीक्षा योग्यता सूची का प्रकाशन	:	27 जून, 2007 (बुद्धवार)
* परामर्श एवम् प्रवेश लेने एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा करने की तिथि	:	29 जून, 2007 (शुक्रवार)
* पाठ्यक्रम आरंभ होने की तिथि	:	02 जुलाई, 2007 (सोमवार)